न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्या :55 / 2024
निर्णय दिनांक : 30.08.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 96

1. दीपक सींवर पुत्र प्रताप सींवर जाति जाट निवारी रणधीरसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. पिंकी सिंवर पत्नी मनोज पुत्री प्रताप सिंवर जाति जाट निवारी रणधीरसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
3. मंजू पत्नी हरीराम पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवारी ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

...............वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

...............प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री नरेश सींवर एडवोकेट वादी उपस्थित।
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 376 तादादी 3.0348 हैक्टेयर व खसरा संख्या 466 तादादी 11.1655 वाके रोही धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादगत खेतों का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादीगण का बोलता नाम दीपाराम पुत्र प्रताप, विक्की पुत्री प्रताप एवं जमना पुत्री लिछमणराम के नाम क्रमशः 7/216, 7/216 एवं 7/432 हिस्से की खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादीगण का वास्तविक नाम दीपक सींवर पुत्र प्रताप सीवंर, पिंकी सींवर पुत्री प्रताप सींवर एवं मंजू पुत्री लिछमणराम है जो कि वादीगण के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादीगण का नाम दीपाराम पुत्र प्रताप, विक्की पुत्री प्रताप एवं जमना पुत्री लिछमणराम के नाम क्रमशः 7/216, 7/216 एवं 7/432 जाति जाट निवासी धातरी खातेदार दर्ज है जबकि वादीगण के दस्तावेजों में नाम दीपक सींवर पुत्र प्रताप सीवंर, पिंकी सींवर पुत्री प्रताप सींवर एवं मंजू पुत्री लिछमणराम जाति जाट है। दीपाराम व दीपक, विक्की व पिंकी, जमना व मंजू एक ही व्यक्ति हैं अलग–अलग नहीं है। अतः वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दीपाराम पुत्र प्रताप, विक्की पुत्री प्रताप एवं जमना पुत्री लिछमणराम के स्थान पर दीपक सींवर पुत्र प्रताप सीवंर, पिंकी सींवर पुत्री प्रताप सींवर एवं मंजू पुत्री लिछमणराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रतिलिपि आदि दस्तावेजात में भी वादीगण का नाम दीपक सींवर पुत्र प्रताप सीवंर, पिंकी सींवर पुत्री प्रताप सींवर एवं मंजू पुत्री लिछमणराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

—:आदेश:—

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 376 तादादी 3.0348 हैक्टेयर व खसरा संख्या 466 तादादी 1.1655 वाके रोही धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादीगण का नाम दीपाराम पुत्र प्रताप, विक्की पुत्री प्रताप एवं जमना पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवासी धातरी खातेदार के स्थान पर दीपक सींवर पुत्र प्रताप सींवर, पिंकी सींवर पुत्री प्रताप सींवर एवं मंजू पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवासी धातरी खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को टंकित करवाया जाकर सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ